

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांक—नर्सिंग/नर्स—प्रथम/एल-60/2019/310


दिनांक: 08.08.2019

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
भीलवाडा।

विषय.— श्री लक्ष्मणलाल कोली, नर्स प्रथम के वेतन भुगतान बाबत। -

संदर्भ:— आपका पत्रांक 194 दिनांक 29.03.2019 एवं पत्रांक 1897 दिनांक 01.06.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3984/2019 श्री लक्ष्मणलाल कोली बनाम सरकार व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने आगामी तारीख पेशी तक निदेशालय के आदेश दिनांक 08.03.2019 के विरुद्ध दिनांक 25.03.2019 को स्थगन आदेश पारित किया है, की पालना में श्री लक्ष्मणलाल कोली, नर्स प्रथम को माह मार्च, 2019 से वेतन आपके अधीन रिक्त नर्स प्रथम अथवा उसके समकक्ष/उच्च रिक्त पद से नियमानुसार आहरण कर भुगतान करावें तथा प्रकरण ने आगामी तारीख पेशी की वस्तुस्थिति से निदेशालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक—नर्सिंग/नर्स—प्रथम/एल-60/2019/

दिनांक:

प्रतिलिपि— उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3984/2019 में पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.03.2019 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने अथवा नियुक्ति आदेश हो चुके हो तो उसकी प्रति भिजवाने का श्रम करे। संलग्न—उपरोक्तानुसार।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर